रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 309] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18, 1976/भाद्र 27, 1898
No. 309] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 18, 1976/BHADRA 27, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

FOREIGN TRAVEL TAX

New Delhi, the 18th September 1976

G.S.R. 806(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 46 of the Finance (No. 2) Act, 1971 (32 of 1971), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. G.S.R. 1457 [7/F. 389-TR(FTT)/71], dated the 1st October, 1971, namely:—

In the first paragraph of the said notification,—

(a) in the opening portion, for the words "every passenger", the words and brackets "every passenger (including a child below two years)" shall be substituted;

(b) in the proviso, for the words "Provided that", the words and brackets "Provided that in relation to a passenger (not being a child below two years)" shall be substituted.

[No. 3/FTT/76-(F.No. 306/6/76-FTT)]

O. P. MEHRA, Dy. Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

विदेशी यात्रा कर

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1976

सा० का० नि० 806 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1971 (1971 का 32) की धारा 46 की खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1457 (फा 389-टी आर (एफ० टी.० टी)/71) तारीख 1 अक्तूबर, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा में—

(क) आरम्भिक भाग में, "प्रत्येक व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक व्यक्ति (जिसमें दो वर्ष से कम का बालक भी सम्मिलित है)" शब्द और कोष्टक रखे जायेंगे;

(ख) परन्तुक में "परन्तु" शब्द के स्थान पर "परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति से सम्बन्ध में (जो दो वर्ष से कम का बालक नहीं है)" शब्द और कोष्टक रखे जायेंगे ।

[सं० 3/एफ० टी० टी०/76-(फा० स० 306/6/76-एफ० टी० टी०)]

ओ० पी० मेहरा, उप सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976